**संख्या-72/2016/658/12-3-16-100(35)2013**

प्रेषक

राकेश कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**कृषि अनुभाग-3** **लखनऊ:: दिनांक: 14 जुलाई, 2016**

विषय:- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कृषि क्षेत्र की पूंजीगत योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-रा.कृ.वि.यो./15 एवं 59/लेखा-14/2016-17, दिनांक 13.04.2016 एवं दिनांक 03.05.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, रहमानखेड़ा में महिला छात्रावास के निर्माण हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्न तालिका के अनुसार रू0-10545 हजार (रू0 एक करोड़ पॉच लाख पैतालीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

***(धनराशि हजार रू0 में)***

| क्र.सं | योजना का नाम | एस.एल.एस.सी. की बैठक दिनांक | अनुमोदित धनराशि | लेखाशीर्षक/मानक मद | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Construction of womens hostel at SIMA | 22.5.2014 | 22955 | अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0201-कृषि क्षेत्र की पूंजीगत योजनायें-मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य | 10545 |

***(रू0 एक करोड़ पॉच लाख पैतालीस हजार मात्र)***

2- कृषि निदेशक द्वारा योजनान्तर्गत निर्माण कार्यो हेतु शासनादेश संख्या-400/12-3-2013, दिनांक 7.3.2013 द्वारा नामित कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम को निमयानुसार उक्त धनराशि आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

3- योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्य अनुमोदित कार्ययोजना/पी.एफ.ए.डी. द्वारा अनुमोदित आगणन तथा शासनादेश संख्या-466/12-3-2014-100(35)/2013, दिनांक 4.7.2014 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार ही सम्पादित कराये जायेंगे। योजनान्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्यो की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित कराने का दायित्व कृषि निदेशक/निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि. का होगा।

4- कृषि निदेशक द्वारा कार्यो के सत्यापन हेतु अपर कृषि निदेशक (प्रसार) की अध्यक्षता में टीम का गठन किया जायेगा, जो समय-समय पर कार्यो की गुणवत्ता की जांच/निरीक्षण करेगी तथा रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायेगी।

5- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। केन्द्र पोषित, वाह्य सहायतित तथा राज्य/जिला सेक्टर जिनमें राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को किसी प्रकार (Cash or Kind) की सब्सिडी/सहायक अनुदान (गैर वेतन) दिया जाना है। ऐसी सभी योजनाओं/कार्यक्रमों में लाभार्थी की संख्या व पात्रता तथा उसे दी जाने वाली धनराशि आदि के संबंध में शासनादेश संख्या-3497/12-3-2012-100(70)/2012, दिनांक 07.11.2012 के अनुपालन में मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

6- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग योजना की मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित एस.एल.एस.सी. द्वारा अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव/अनुमोदित कार्ययोजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय।

7- योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। विभिन्न घटकों के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की मासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट राज्य नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो।

8- उपर्युक्त तालिका पर अंकित योजनान्तर्गत धनराशि का उपयोग योजना की कार्ययोजना में अनुमोदित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप किया जायेगा।

9- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय।

10- उक्त तालिका के अनुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय- आयोजनागत-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-0201-कृषि क्षेत्र की पूंजीगत योजनायें के अन्तर्गतं उपर्युक्त तालिका में अंकित सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी.-1-746/दस- 2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्राविधानित दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

**( राकेश कुमार सिंह )**
विशेष सचिव।

**सं0-72/2016/658(1)/12-3-2016-**तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

**1-** महालेखाकार,**(**लेखा व हकदारी**)** प्रथम**/**द्वितीय, उ**0**प्र**0** इलाहाबाद।
**2-** महालेखाकार,**(**लेखा परीक्षा**)** प्रथम**/**द्वितीय, उ**0**प्र**0** इलाहाबाद।
**3-** सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
**4-** संयुक्त सचिव **(**आर.के.वी.वाई.**)** भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
**5-** अवर सचिव **(**आर.के.वी.वाई.**)** भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
**6-** निदेशक, आर के. वी. वाई., भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, **(**आर.के.वी.वाई. सेल**)** कृषि भवन, नई दिल्ली।
**7-** प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम, लि**0,** लखनऊ।
**8-** निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
**9-** कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
**10-** वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि वह नियमानुसार संबंधित को धनराशि का आंवटन करते हु एआंवटन-पत्र की प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
**11-** नोडल अधिकारी, आर.के.वी.वाई., कृषि भवन, लखनऊ।
**12-** वित्त **(**व्यय नियंत्रण**),** अनुभाग**-1/**कृषि अनुभाग**-5/**नियोजन अनुभाग**-3**
**13-** गार्ड बुक।

आज्ञा से,

**(** विनय शंकर पाण्डेय **)**
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in